न्यायालय :– चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

(पीठासीन न्यायाधीश – विवेक कुमार वर्मा)

सत्र प्रकरण क्0–102/2018
संस्थित दिनांक– 07/05/2018
CNR No. CGRP010025042018

छ.ग. राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र–विधानसभा
जिला–रायपुर (छ.ग.) ------------- अभियोजन

// वि रू ध्द //

1. दाउलाल धीवर, उम्र 65 वर्ष
पिता रामाधीवर,

2. श्रीमती कमला बाई धीवर, उम्र 50 वर्ष,
पति दाउलाल धीवर

दोनो निवासी–ग्राम टेकारी, थाना विधानसभा
जिला रायपुर (छ.ग.) ------ अभियुक्तगण

न्यायालय– श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, रायपुर के दांडिक प्रकरण क्रमांक–1562/2018, छ.ग. राज्य बनाम दाउलाल धीवर वगैरह, अंतर्गत धारा– 294, 307, 302, 34 भा.दं.सं. में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 01.05.2018 से उत्पन्न सत्र प्रकरण।

अभियोजन द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह, अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण द्वारा सुश्री नूर अफरोज, अधिवक्ता उपस्थित।

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.10.2019 को घोषित)

1. अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (जिसे इसके पश्चात् भा.दं.सं. लिखा जावेगा) की धारा– 294, 307 सहपठित धारा 34,

एवं 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होने दिनांक 28.12.2017 को शाम लगभग 6:30 बजे, स्थान– ग्राम टेकारी, वार्ड क्रं. 1 प्रार्थी के घर के सामने, थाना विधानसभा जिला रायपुर (छ.ग.) मे मालती निर्मलकर एवं शंकर निर्मलकर को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, आरोपीगण ने, मालती निर्मलकर की मृत्यु कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में मृत्यु कारित करने के आशय से उसके शरीर पर चाकू से प्रहार कर प्राणघातक चोटें पहुंचा कर मालती निर्मलकर की हत्या करने का प्रयत्न किया एवं आरोपीगण ने, शंकर लाल निर्मलकर की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया और उस सामान्य आशय के अग्रसरण मे धारदार चाकू से शंकर लाल निर्मलकर को उसके पेट व पीठ मे मारकर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित किया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि प्रकरण के अभियुक्तगण एवं मृतक तथा आहत, आपस में पड़ोसी हैं। मुख्य आरोपी दाउलाल धीवर है एवं आरोपिया कमला बाई धीवर उसकी पत्नी है। प्रकरण की आहत मालती निर्मलकर, मृतक शंकर की पत्नी है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रार्थी नरेन्द्र निर्मलकर ने दिनांक 28.12.2017 के करीब 20.35 बजे थाना विधानसभा में आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराया कि इस दिन शाम को करीब 06:30 बजे उसके बड़े भाई मनोज निर्मलकर फोन से बताया कि मां

मालती निर्मलकर व पिता शंकर निर्मलकर को दाउलाल धीवर व कमला बाई धीवर ने चाकू से मारे है, तब वह तुरंत घर आया देखा कि दोनो को चोट आई थी, वह दोनो जमीन मे गिरे हुए थे। उसके गांव वालो ने 108 एंबुलेंस वाहन को बुलाकर उन्हे ईलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल मे भर्ती किये है। उसके द्वारा अपनी मां मालती से पुछने पर वह बताई कि, दाउलाल धीवर व उसकी पत्नी कमला धीवर, उसे गाली दे रहे थे, जब उसके पिता शंकर ने गाली देने से मना किया तो इस पर दाउलाल धीवर चाकू लेकर घर से बाहर आया और उसकी मां को चाकू से कमर और पीठ मे वार करने लगा। जब बीच–बचाव के लिए उसका पिता शंकर आया तो उसे भी दाउलाल ने चाकू से मारकर पेट मे चोट पहुंचाया। घटना के समय कमला बाई उसकी मां को जमीन मे पटक कर उसके उपर बैठकर पैर से मुंह को खूंद रही थी। आरोपी दाउलाल धीवर अपने हाथ में रखे चाकू से शंकर लाल निर्मलकर को पेट में मारकर गंभीर चोट पहुंचाया, जिसे उपचार हेतु मेकाहारा ले जाने पर चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना विधानसभा पुलिस द्वारा देहाती नालशी प्रदर्श पी–11 के अनुसार दर्ज की गई थी।

4. उक्त सूचना उपरांत, थाना विधानसभा की पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी–16 दर्ज किया गया। थाना मौदहापारा रायपुर को प्रदान की गई मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–15 है। शंकर की मृत्यु होने पर प्रकरण में भा.दं.सं. की धारा 302 जोड़ा गया। विवेचना के दौरान शव का पंचनामा तैयार किये जाने हेतु पंचो को

नोटिस प्रदर्श पी.–1 दी गयी तथा पंचों की उपस्थिति मे नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–2 की कार्यवाही की गई। मृतक शंकरलाल निर्मलकर के शव का परीक्षण कराये जाने हेतु प्रदर्श पी.–17 का तहरीर तैयार कर शव को परीक्षण हेतु भेजा गया। शव का परीक्षण कराये जाने हेतु प्रदर्श पी–18 के अनुसार आरक्षक रामकुमार साहू को कर्तव्य प्रमाण पत्र दिया गया। शव परीक्षण प्रतिवेदन मे पेट में आयी गंभीर चोट, अधिक रक्तस्राव एवं सदमे के कारण मृत्यु होना एवं मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना प्रदर्श पी–24 की रिपोर्ट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। मृतक के परिजनों को शव सुपुर्दनामा प्रदर्श पी–3 के अनुसार शव सुपुर्द किया गया। शव परीक्षण पश्चात् मृतक के पहने हुए कपड़े तथा सिलबंद प्लास्टिक के डिब्बे मे स्टमक के टुकड़े की जप्ती, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–19 के अनुसार की गयी। थाना प्रभारी द्वारा, खण्ड चिकित्सा अधिकारी को जप्तशुदा चाकू का मुलाहिजा कर रिपोर्ट देने बाबत आवेदन प्रदर्श पी–25 प्रेषित किया गया। उक्त घटना में आहत मालती निर्मलकर को आयी चोटों का मुलाहिजा प्रदर्श पी–26 के अनुसार चिकित्सक से करवाया गया।

5. विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–12 के अनुसार तैयार किया गया। घटना स्थल का पटवारी से नक्शा बनाये जाने हेतु तहसीलदार को पत्र प्रदर्श पी–14 प्रेषित किया गया। पटवारी द्वारा तैयार नजरी नक्शा प्रदर्श पी–13 प्राप्त किया गया। आरोपी दाउलाल का मेमोरंडम बयान प्रदर्श पी–5 दर्ज किया गया एवं उक्त कथन के आधार पर आरोपी के पेश करने पर चाकू की जप्ती, जप्ती पत्रक प्रदर्श

पी–7 के अनुसार की गयी। विवेचना के दौरान, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–4 के अनुसार खून आलूदा मिट्‌टी, सादी मिट्‌टी की जप्ती की गयी। मृतक शंकर लाल एवं आहत मालती निर्मलकर के कपड़ो की जप्ती, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–6 के अनुसार की गयी। मालती निर्मलकर से मेकाहारा अस्पताल मे भर्ती कर ईलाज कराये जाने से संबंधित बेडहेड टीकट प्रदाय करने हेतु आवेदन प्रदर्श पी–23 दिया गया एवं बेडहेड टिकट की जप्ती, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–8 के अनुसार की गयी। गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–9 के अनुसार आरोपी दाउलाल तथा प्रदर्श पी–10 के अनुसार आरोपिया कमला बाई की गिरफतारी की गयी तथा प्रदर्श पी–20 के अनुसार आरोपीगण के गिरफतारी की सूचना उनके परिजनो को दिया गया। प्रदर्श पी–21 के प्रदर्श प्राप्ति रसीद के अनुसार जप्तशुदा कपड़ो एवं खून आलूदा मिट्‌टी तथा सादी मिट्‌टी का मुलाहिजा कराये जाने बाबत् एफ.एस.एल. को प्रेषित किया गया। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन अंतर्गत धारा 161 द.प्र.सं. दर्ज किये गये। अनुसंधान संबंधी अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति किये जाने के पश्चात् थाना विधानसभा के द्वारा अंतिम प्रतिवेदन क्रमांक 49/18 प्रस्तुत किया गया।

6. श्री कृष्ण मुरारी शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के द्वारा, प्रस्तुत दांडिक प्रकरण क्रमांक–1562/2018, छ.ग. राज्य बनाम दाउलाल धीवर वगैरह, अंतर्गत धारा–294, 307, 302, 34 भा.दं.सं. को सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से आदेश दिनांक 01.05.2018 के माध्यम से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित किया

गया। उपार्पण पश्चात् माननीय सत्र न्यायालय, रायपुर द्वारा विधिवत् निवर्तन हेतु प्रकरण इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

7. अभियुक्तगण पर उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किये और विचारण चाहा गया। विचारण उपरांत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित किये गये अभियुक्त कथन में अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना एवं मामले में उन्हे झूठा फंसाया जाना बताया हैं, परंतु अपनी प्रतिरक्षा मे किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में भरतलाल साहू (अ.सा.–01), नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.–02), मालती निर्मलकर (अ.सा.–03), दानी ध्रुव (अ.सा.–04), प्रितमदास मानिकपुरी (अ.सा.–05), बी. आर. साहू (अ.सा.–6), डॉ. विधि टेंभुर्णीकर (अ.सा.–7), एम. आर. शार्दुल (अ.सा.–8), डॉ. एम. निराला (अ.सा.–9) एवं डॉ मनोज पोपटानी (अ.सा.–10) का परीक्षण कराया गया है।

9. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं :–

1. क्या आरोपीगण ने मालती निर्मलकर एवं शंकर निर्मलकर को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण मे मालती निर्मलकर के शरीर पर चाकू से प्रहार कर प्राणघातक चोटें पहुंचा कर उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया ?

3. क्या शंकर लाल निर्मलकर की मृत्यु कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की प्रकृति का है?

4. क्या अभियुक्त के द्वारा आशयपूर्वक शंकर लाल निर्मलकर की मृत्यु कारित कर दी गई है?

5. यदि हां तो दंडादेश?

विचारणीय प्रश्न कमांक–1 पर निष्कर्ष :–

10. प्रकरण में घटनास्थल के साक्षी दानी ध्रुव (अ.सा.3) ने आरोपीगण के द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, प्रकरण के अन्य गवाह भरतलाल साहू (अ.सा.1) एवं नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.2) का उक्त घटना घटित होने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचना अभिलेख से दर्शित है, इसलिये इन साक्षियो के कथन इस विचारणीय बिंदु के विषय पर सारहीन हो जाते है। प्रकरण की आहत, मालती निर्मलकर (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपीगण के द्वारा अश्लील गालियां दिये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, अभियोजन के सूचक प्रश्न पर इस साक्षी ने आरोपी दाउलाल के द्वारा मां बहन की अश्लील गालियां देना बताया है, परंतु इस साक्षी ने गालियों के संबंध में सामान्य कथन मात्र किया है, अश्लील शब्दो का स्पष्ट वर्णन नहीं किया है, और उसे क्षोभ कारित होने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य को, भारतीय दंड संहिता की धारा 294 की विशिष्टियों को पूर्ण करने वाला नहीं माना जा सकता। अतः

स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न कमांक–2 पर निष्कर्ष :–

11. मालती निर्मलकर (अ.सा.03) का कथन है कि दिनांक 28.12.17 को शाम 06:30 बजे वह अपने घर के दरवाजे मे खड़ी थी उसी समय आरोपिया कमला उसका बाल खींच कर, उसे घर से बाहर ले गई और आरोपी दाउलाल उसके साथ मारपीट करने लगा। इसी बीच आरोपी दाउलाल घर से चाकू लेकर आया और उसे चाकू से तीन जगह मारा। इस साक्षी का यह भी कथन है कि आरोपी कमला उसके उपर चढ़कर उसे दबा दी थी, और उसके मुंह को भी अपने पैर से दबा दिया था। जब आरोपीगण उन्हे मार रहे थे, तो उनके मोहल्ले के रोहित और दानी ध्रुव आकर उन्हे छुड़ाये थे।

12. उक्त घटना के दौरान बीचबचाव करने वाले साक्षी दानी ध्रुव (अ.सा.4) का कथन है कि घटना दिनांक को वह अपने घर मे मृतक शंकर निर्मलकर के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। उसी समय शंकर लाल के घर के तरफ से लड़ाई झगड़े की आवाज आने पर, वह दोनो घर से निकलकर देखे तो, अभियुक्तगण दाउलाल और कमला, शंकर लाल की पत्नी मालती के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उसी समय दाउलाल ने अपने पास रखे चाकू से मालती बाई को चोट पहुंचाया।

13. इस प्रकार मालती निर्मलकर (अ.सा.03) एवं दानी ध्रुव (अ.सा.4) के द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि आरोपी दाउलाल एवं उसकी पत्नी आरोपिया कमला ने, मालती से मारपीट किया और इसी दौरान आरोपी दाउलाल ने मालती को चाकू से वार कर उसे चोट पहुंचाया। इन साक्षियो के कथनो से उक्त घटना के दौरान आरोपिया कमला की उक्त घटना में सहभागिता स्पष्टतया परिलक्षित है। इन दोनो साक्षियो के द्वारा, आरोपीगण को साथ मिलकर मालती के साथ की गयी मारपीट एवं चाकू से मारे जाने के संबंध में किये कथनो का कोई सारवान खंडन प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं हुआ है। इन साक्षियो के अखंडित कथनो से आरोपीगण के द्वारा मालती को चाकू से चोट पंहुचाये जाने की पुष्टि होती है।

14. डा. मनोज पोपटानी (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 28.12.2017 को शाम 07.50 बजे, आहत मालती को उनके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। इस दौरान आहत के पुत्र नरेन्द्र निर्मलकर ने उन्हे बताया कि ग्राम टेकारी मे उनके पड़ोसी द्वारा, मालती को धारदार हथियार से मारा गया है। इस साक्षी का यह भी कथन है कि आहत के परीक्षण पर उन्होने उसके पेट पर धारदार हथियार से गंभीर चोट आना पाया था। इसके बाद आहत का आपातकालीन शल्य चिकित्सा (ऑपरेशन) करके आई.सी.यू. मे शिफ्ट किया गया। साक्षी का यह भी कथन है कि आहत को दिनांक 03.01.2018 को डिस्चार्ज किया गया तथा डिस्चार्ज टीकट प्रदर्श पी—26 पर उनके हस्ताक्षर है। इस चिकित्सकीय साक्षी के कथनानुसार आहत मालती को आई चोटें गंभीर प्रकृति की थी। आहत मालती निर्मलकर (अ.सा.03) एवं दानी ध्रुव (अ.सा.4) के कथनानुसार उक्त चोटें अभियुक्तगण

के द्वारा मारपीट कर चाकू से वार किये जाने के कारण आना बताया गया है, जिसका कोई सारवान खंडन नहीं हुआ है। अतः आहत को आई चोटे चिकित्सकीय साक्ष्य से संपुष्ट होना भी दर्शित है।

15. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आहत मालती को आई चोटे उसके मृत्यु कारित किये जाने के लिये पर्याप्त थी, इसलिये अभियुक्तगण के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 307 का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता। यद्यपि चिकित्सक साक्षी डा. मनोज पोपटानी (अ.सा.10) ने आहत मालती को आई चोटो से उसकी मृत्यु कारित हो सकने की संभावना के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया गया है, परंतु इस चिकित्सक साक्षी के कथनो से यह स्पष्ट है कि आहत मालती के शरीर पर धारदार हथियार से चोट आना पाया गया था, उसे भर्ती किये जाने के उपरांत उसका आपरेशन किया गया। इस साक्षी ने आहत मालती को आई चोटे को गंभीर प्रकृति की होना बताया है, जिससे यह स्पष्टतया परिलक्षित है कि आहत मालती को आई चोटो का समय पर ईलाज नहीं होने पर उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य था। यह भी सुस्थापित विधि है कि भा.दं.सं. की धारा 307 की पूर्णता हेतु चोट की प्रकृति से ज्यादा, अभियुक्तगण का आशय महत्वपूर्ण है। इस प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा मालती से की जा रही मारपीट के दौरान उसके पति के द्वारा बीचबचाव हेतु आने पर आरोपीगण के द्वारा उसके पति को पहुंचाई गयी चोट से उसकी मृत्यु कारित हुई है, यदि मालती का पति बीचबचाव हेतु नहीं आया होता, घटना का कुछ

और परिणाम होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिये बचाव पक्ष का उपरोक्त तर्क अमान्य किया जाता है। उक्त चोट अभियुक्तगण के द्वारा कारित किया जाना साक्षियो के कथनो से स्थापित है, अतः अभियुक्तगण दाउलाल एवं कमला के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 307 सहपठित धारा 34 का अपराध प्रमाणित पाया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कमांक–3 पर निष्कर्ष :–

16. मालती निर्मलकर (अ.सा.03) का कथन है कि दिनांक 28.12.17 को शाम 06:30 बजे वह अपने घर के दरवाजे मे खड़ी थी उसी समय आरोपिया कमला उसका बाल खींच कर, उसे घर से बाहर ले गई इसके बाद आरोपी दाउलाल और कमला उसके साथ मारपीट करने लगे। इस साक्षी का यह भी कथन है कि जब उसके पति उसे छुड़ाने के लिए तब आरोपी दाउलाल ने 6–7 बार उनके पेट मे चाकू से मारा, जिससे उसके पति खून से लथपथ होकर निचे गिर गये। इसके बाद मोहल्ले वालों ने 108 एम्बूलेंस बुलाकर उन्हें मेकाहारा अस्पताल पहुंचाया जहां उसके पति की मृत्यु हो गई थी।

17. दानी ध्रुव (अ.सा.4) का कथन है कि घटना दिनांक को दाउलाल और कमला, शंकर लाल की पत्नी मालती के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे तब शंकर लाल बीच बचाव करने लगा उसी समय दाउलाल ने अपने पास रखे चाकू से शंकर लाल को चाकू मारा, बाद मे ईलाज के दौरान शंकर की मृत्यु हो गई। भरत लाल साहू (अ.सा.1) एवं नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.2) का कथन है कि घटना दिनांक को आरोपीगण के द्वारा

मालती एवं शंकर को चाकू से चोट पहुचाये जाने की सूचना मिलने पर वह लोग घटना स्थल गये तो देखा कि मालती और शंकर जमीन मे पड़े हुए थे और उनके शरीर से खून निकल रहा था तब उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां ईलाज के दौरान शंकर लाल की मृत्यु हो गई। इस प्रकार इन अभियोजन साक्षियों के मौखिक कथनो से शंकर लाल की मृत्यु हो जाने की पुष्टि होती है।

18. भरत लाल साहू (अ.सा.1) का कथन है कि शंकर लाल के शव के पंचनामा कार्यवाही हेतु पुलिस के द्वारा उसे प्रदर्श पी–1 की नोटिस दी गई थी और इसके बाद शव पंचनामा की कार्यवाही प्रदर्श पी–2 के अनुसार उसके समक्ष कराई गई थी। एन. आर. शार्दुल (अ.सा.8) का कथन है कि मृतक के शव का पंचनामा बनाये जाने के लिए उसने पंच गवाहों को 175 द.प्र.सं. की नोटिस प्रदर्श पी–1 देने के पश्चात् शव पंचनामा प्रदर्श पी–2 तैयार किया था। इस साक्षी का यह भी कथन है कि शव पंचनामा के बाद मृतक के शव परीक्षण हेतु प्रदर्श पी–17 का तहरीर तैयार कर आरक्षक क्र. 553 को शव का परीक्षण कराये जाने हेतु प्रदर्श पी–18 का कर्तव्य प्रमाण पत्र देकर भेजा था। नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.2) का कथन है कि उसने अपने पिता के शव परीक्षण पश्चात्, शव को अंतिम क्रियाकर्म के लिए सुपुर्दनामा प्रदर्श पी–3 के अनुसार शव को सुपुर्दनामे मे प्राप्त किया था। इन साक्षियों के कथनों से मृतक के शव का पंचनामा तैयार किये जाने और शव को परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाने तथा परीक्षण उपरांत शव को सुपुर्दनामे पर दिये जाने की पुष्टि होती है। शव पंचनामा में यह

उल्लेखित है कि यद्यपि शंकर लाल की मृत्यु उसे आयी संघातिक चोटों के कारण हुई है परंतु मृत्यु का सही कारण के लिये शव का पी.एम. कराया जाना आवश्यक है अतः पी.एम. रिपोर्ट पर विचार किया जाना प्रासंगिक होगा।

19. डा. विधि टेंभूर्णीकर (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 28.12.17 को शाम 07:45 बजे शंकर लाल निर्मलकर को उसके समक्ष लाया गया था। उन्होने प्रारंभिक निरीक्षण में ही यह पाया था कि उसे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, तब उन्होने थाना मौदहापारा को मृत्यु की सूचना प्रदर्श पी–15 प्रेषित कर शव को चीरघर भेज दिया था। डॉ. एम. निराला (अ.सा.9) के द्वारा मृतक शंकर लाल के शव का परीक्षण किया गया है। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में मृतक के शरीर में निम्न चोटों का आना बताया है :–

1. दायी तरफ पीठ के मध्य भाग मे बांया स्केपूलर भाग से 8 सेमी नीचे और स्पाइनल कार्ड से 12 सेमी शरीर से बाहर की तरफ स्टेब वुंड (घोपा हुआ घाव) जिसका आकार 1.5X1X2 सेमी मौजूद था।

2. बायीं तरफ पेट के मिडिल क्वाड्रेंट मे बाहर की तरफ 2X0.5X6 सेमी आकार का घोपा हुआ घाव मौजूद था।

3. बायी तरफ पेट के निचली क्वाड्रेंट मे बाहर की तरफ 2X0.5X6 सेमी आकार का घोपा हुआ घाव मौजूद था, बड़ी आंत घाव से बाहर निकला हुआ था और 3X2 सेमी आकार का फटा हुआ था।

20. डॉ. एम. निराला (अ.सा.9) के कथनानुसार मृतक शंकर लाल के शव के आंतरिक परीक्षण पर निम्नानुसार होना पाया गयाः–

आंतरिक परीक्षण–

1. खोपड़ी, झिल्ली, मस्तिष्क और मेरूरज्जू साबूत व रक्त रहित थे।

2. बायी तरफ पसली क्र. 7 टूटी हुई थी, तथा बांये फेफड़े के निचली लोब मे 1x0.5x1.5 सेमी आकार का घोपा हुआ घाव मौजूद था।

3. छाती एवं पेट की गुहा मे रक्त और रक्त का थक्का मौजूद था।

21. डॉ. एम. निराला (अ.सा.9) के कथनानुसार मृतक के शरीर मे मौजूद सभी चोटें गहरे लाल रंग के इकाइमोसिस लिए हुए थे और मृत्यु पुर्व के थे। सभी चोटें सख्त एवं धारदार हथियार से आई हुई थी और मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। इस साक्षी के अभिमत एवं इनके द्वारा दिये गये शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.–24 के अनुसार मृतक की मृत्यु एक से अधिक घोपे हुए घावों के कारण अत्यधिक रक्त स्त्राव एवं सदमे से हुई थी। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक प्रकृति की थी। मृतक शंकर लाल की मृत्यु के सबंध मे इस साक्षी के द्वारा दिये गये अभिमत अखण्डीत रहें है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के कथन एवं चिकित्सीय साक्षी के रिपोर्ट एवं कथन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि मृतक शंकर लाल की मृत्यु सामान्य प्रकृति की न होकर, मानव वध प्रकृति की है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक–3 का निष्कर्ष “प्रमाणित” में दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक–4 पर निष्कर्ष :–

22. मालती निर्मलकर (अ.सा.03) का कथन है कि दिनांक 28.12.17 को शाम 06:30 बजे वह अपने घर के दरवाजे मे खड़ी थी उसी समय आरोपिया कमला उसका बाल खींच कर, उसे घर से बाहर ले गई और आरोपी दाउलाल उसके साथ मारपीट करने लगा। इसी बीच आरोपी दाउलाल घर से चाकू लेकर आया और उसे चाकू से मारने लगा। जब उसके पति उसे छुड़ाने के लिए तब आरोपी दाउलाल ने 6–7 बार उनके पेट मे चाकू से मारा। जिससे उसके पति खून से लथपथ होकर निचे गिर गये। इस साक्षी का यह भी कथन है कि जब आरोपीगण उन्हे मार रहे थे, तो उनके मोहल्ले के रोहित और दानी ध्रुव आकर उन्हे छुड़ाये थे।

23. दानी ध्रुव (अ.सा.4) का कथन है कि घटना दिनांक को वह अपने घर मे मृतक शंकर निर्मलकर के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था उसी समय शंकर लाल के घर के तरफ से लड़ाई झगड़े की आवाज आने पर वह दोनो घर से निकलकर देखें तो दाउलाल और कमला, शंकर लाल की पत्नी मालती के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, तब शंकर लाल बीच बचाव करने लगा उसी समय दाउलाल ने अपने पास रखे चाकू से मालती बाई को चोट पहुंचाया और शंकर लाल के द्वारा बीच बचाव करने के दौरान दाउलाल ने शंकर लाल को चाकू मारा।

24. आहत मालती निर्मलकर (अ.सा.03) एवं दानी ध्रुव (अ.सा.4) के द्वारा यह स्पष्ट कथन किया गया है कि आरोपी दाउलाल एवं उसकी पत्नी आरोपिया कमला ने मृतक शंकर और मालती से मारपीट किया और

इसी दौरान आरोपी दाउलाल ने मृतक शंकर को चाकू से कई बार वार कर उसे चोट पहुंचाया। इन दोनो साक्षियो के द्वारा, आरोपीगण को साथ मिलकर शंकर के साथ की गयी मारपीट एवं चाकू से मारे जाने के संबंध में किये कथनो का कोई सारवान खंडन प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं हुआ है। इन साक्षियो के अखंडित कथनो से आरोपीगण की घटना में संलिप्तता प्रथमदृष्टया प्रमाणित होता है।

25. नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.2) का कथन है कि घटना दिनांक 28.12.17 को दोपहर वह अपने घर में सोया हुआ था, शाम 5–5:50 बजे वह उठकर बाजार चौक की तरफ गया था, तभी उसके भाई मनोज निर्मलकर ने उसे मोबाईल फोन से बताया कि आरोपीगण ने मिलकर उसके मां और पिताजी को चाकू मार दिया है और वह दोनो घायल है। तब वह दौड़ते हुए घर आया तो देखा कि उसके मां और पिताजी, जमीन मे पड़े थे तथा दोनो के शरीर से खून निकल रहा था। इस साक्षी का यह भी कथन है कि उसी समय मोहल्ले के लोगो ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया, जिसके बाद उसके मां और पिता को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से उन्हे मेकाहारा अस्पताल भेजा गया।

26. नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.2) का यह भी कथन है कि मेकाहारा अस्पताल में उसे आरोपीगण के द्वारा उसके पिता एवं मां को चाकू से मारकर चोट पहुंचाया जाना बताया गया, तथा उसकी मां को अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उसने अपनी मां से घटना के बारे में पूछा तब उसकी मां ने भी उसे आरोपीगण के द्वारा चाकू से मारकर चोट पहुंचाये जाने की

बात बताया था। इस साक्षी के द्वारा किये गये उक्त कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत होना दर्शित होता है। इस साक्षी के द्वारा किये गये कथनो का भी कोई सारवान खंडन प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं हुआ है। इस साक्षी के कथनो से भी आरोपीगण की घटना में संलिप्तता दर्शित है।

27. नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.2) का यह भी कथन है कि पुलिस वाले मेकाहारा अस्पताल आये थे, जहां उसने आरोपीगण के विरूद्ध देहाती नालसी प्रदर्श पी–11 दर्ज कराया था। एम. आर. शार्दुल (अ.सा.8) का कथन है कि दिनांक 28.12.2017 को उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टेकारी का शंकल लाल निर्मलकर गंभीर रूप से घायल होकर मेकाहारा अस्पताल मे भर्ती है। तब वह मेकाहारा अस्पताल जाकर प्रार्थी नरेन्द्र निर्मलकर पिता शंकर लाल निर्मलकर के बताये अनुसार देहाती नालसी प्रदर्श पी.–11 दर्ज किया था। इस साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त देहाती नालसी के बाद पश्चात् थाना विधानसभा आकर नंबरी अपराध कमांक 355/2017 का प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी–16 अंतर्गत धारा 294, 307, 34 भा.द.सं. अभियुक्त दाउलाल धीवर एवं कमला धीवर के विरूद्ध दर्ज किया गया। इस साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 29. 12.2017 को पुलिस थाना मौदहापारा से मर्ग इंटिमेशन क्र. 0/1439/17 प्राप्त हुआ था, जिसके अनुसार मेकाहारा अस्पताल मे भर्ती शंकर लाल निर्मलकर की मृत्यु दिनांक 28.12.2017 को हो गई थी तब उसने थाना मौदहापारा मे जीरो मे दर्ज, मर्ग प्रकरण को लेकर जांच हेतु मेकाहारा अस्पताल जाकर अग्रिम कार्य किया था।

28. नरेन्द्र निर्मलकर (अ.सा.2) एवं एम. आर. शार्दुल (अ.सा.8) के कथनो तथा देहाती नालशी प्रदर्श पी.–11 से यह दर्शित है कि ग्राम टेकारी में घटित घटना का समय 6:30 बजे शाम, के बाद मेकाहारा अस्पताल रायपुर में 20:35 बजे रिपोर्ट दर्ज किया गया है। यह देहाती नालशी अविलंब दर्ज कराया गया है। इस देहाती नालशी में भी आरोपीगण का नाम स्पष्टः उल्लेखित किया गया है, तथा इस रिपोर्ट के अनुरुप ही प्रार्थी के द्वारा न्यायालय में कथन किया गया है। इस देहाती नालशी प्रदर्श पी.–11 से भी अभियोजन कथानक का समर्थन होता है।

29. घटना के तत्काल पश्चात घटना स्थल पर पहुंचे साक्षी भरतलाल साहू (अ.सा.1) का कथन है कि घटना दिनांक को वह अपनी कंपनी से शाम 6–7 बजे घर लौटा था, तभी उसे गांव और उसके घर में उसे बताया गया कि आरोपी दाउलाल ने शंकर निर्मलकर को चाकू मार दिया है। जिसके बाद वह घटनास्थल गया था तब उसने शंकर की लाश उसके घर के सामने पड़ा हुआ देखा था। इस साक्षी के द्वारा किये गये उक्त कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत होना दर्शित होता है।

30. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि अभियोजन कथानक एवं स्वयं आहत मालती निर्मलकर (अ.सा.3) के कथनानुसार अभियोजन साक्षी दानी ध्रुव घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था, यह साक्षी घटना घटित होने के बाद बीचबचाव के लिये आया था, परंतु इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी होना

निरुपित करते हुये, बढ़ा चढ़ा कर कथन किया है। इसलिये इस साक्षी के कथनो को अविश्वसनीय होने का तर्क किया गया है। यद्यपि (अ.सा.4) ने, अपने पूर्व कथन से क्षणिक विचलन प्रदर्शित किया है, परंतु उक्त घटना के संबंध में स्वयं आहत मालती के द्वारा किये गये कथनो का कोई भी खंडन नहीं हुआ है, आहत मालती के कथनो से आरोपीगण की घटना में संलिप्तता की पुष्टि होती है, इसलिये इस साक्षी के कथनो के विचलन का लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार अन्य साक्षियो के कथनो के विचलन के संबंध में किये गये तर्क के परिप्रेक्ष्य में यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी घटना को देखने के पश्चात्, घटनास्थल के प्रत्येक अव्यव को अपने मष्तिष्क में धारण करने की क्षमता भिन्न–भिन्न होती है और उन तथ्यो की शब्दशः पुनरावृत्ति की अपेक्षा किया जाना अत्यंत यांत्रिकीय दृष्टिकोण होगा। जब किसी गांव के पड़ोसी सदस्य पर घातक हमला हुआ हो, उस समय उपस्थित लोगो के द्वारा उनकी रक्षा स्वभाविक मानवीय अनुक्रम होगा ना कि इस तथ्य का ध्यान रखा जाना कि उस समय कौन कहां पर खड़ा है। मालती ने यह बताया है उसके सामने ही आरोपीगण के द्वारा उसके पति के साथ मारपीट किया गया, इस साक्षी ने यह कथन अपने पूर्व कथन के अनुरुप ही न्यायालयीन कथन में किया है। इसलिये अभियोजन साक्षियो के द्वारा घटना के पहले या बाद में आने के संबंध में किये गये क्षणिक विचलन मात्र से इन साक्षियो के कथनो को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इसलिये साक्षीगण का यह विचलन स्वाभाविक मानवीय अनुक्रम में होना दर्शित होने से बचाव पक्ष का यह तर्क अमान्य योग्य है।

31. बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि प्रकरण के घटनास्थल के सभी साक्षी मृतक के रिश्तेदार एवं पड़ोसी होने के कारण हितबद्ध साक्षी है, इसलिये उनके कथन विश्वसनीय नहीं है। अभिलेख से यह स्थापित है कि उक्त घटना मृतक के घर के बाहर खुले स्थान पर हुआ है, जिसे आसपास के लोगो के द्वारा देखा जाना स्वभाविक है, उस समय वहां पर मृतक के पास पड़ोस वालो एवं उसके रिश्तेदारो के अतिरिक्त अन्य साक्षीगण की उपस्थिति अकल्पनीय है। किसी भी साक्षी को, मृतक/आहत के रिश्तेदार या पड़ोसी होने के कारण करीबी होने मात्र के आधार पर हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता, बल्कि ऐसे साक्षी प्राकृतिक साक्षी होते है। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत ''*विजय सिंग विरुद्ध उ. प्र. राज्य, क्रिमिलन अपील नं. 1219/2003 निर्णय दिनांक 26 मई 2017*'' अवलोकनीय है, जिसकी संबंधित कंडिका निम्नानुसार हैः–

> 32. By now it is a well-established principle of law that testimony of a witness otherwise inspiring confidence cannot be discarded on the ground that he being a relation of the deceased is an interested witness. A close relative who is a very natural witness cannot be termed as an interested witness. The term interested postulates that the person concerned must have some direct interest in seeing the accused person being convicted somehow or the other either because of animosity or some other reasons.
>
> 33. In State of A.P. Vs. S. Rayappa and Ors. MANU/SC/1004/2006 the Supreme Court observed as under:
>
>> 7. On the contrary it has now almost become a fashion that the public is reluctant to appear and depose before the Court especially in criminal case because of varied reasons. Criminal cases are kept dragging for years to come and the witnesses are a harassed lot. They are being threatened, intimidated and at the top of all they are subjected to lengthy cross-examination. In such a situation, the only natural witness available to the prosecution would be the

relative witness. The relative witness is not necessarily an interested witness. On the other hand, being a close relation to the deceased they will try to prosecute the real culprit by stating the truth. There is no reason as to why a close relative will implicate and depose falsely against somebody and screen the real culprit to escape unpunished. The only requirement is that the testimony of the relative witnesses should be examined cautiously.

32. अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में प्रकरण में उपलब्ध अभियोजन साक्षियो के कथनो को, केवल उनकी रिश्तेदारी या मृतक के पड़ोसी होने के आधार पर पूर्णतः अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

33. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षियो के कथनानुसार केवल आरोपी दाउलाल के द्वारा चाकू से चोट पहुंचाया गया है, अतः आरोपिया कमला को भा.द.सं. की धारा 34 के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता। इस तथ्य के निर्धारण हेतु इस धारा के विधिक बिंदुओ पर विचार किया जाना समीचिन होगा। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत ''***Vijendra Singh Vs. State of Uttar Pradesh, [Criminal Appeal No. 1448 of 2010] January 04, 2017***'' अवलोकनीय है, इसकी संबंधित कंडिका निम्नानुसार हैः–

14. The heart of the matter is whether Section 34 IPC would be attracted to such a case or not. In this regard, we may refer to certain authorities as to how this Court has viewed the concept of "common intention" and thereafter reflect upon how it is applicable to the case at hand.

15. Mr. Giri has drawn our attention to paragraph 10 of the authority in Jai Bhagwan (supra). It reads as follows:-

"10. To apply Section 34 IPC apart from the fact that there should be two or more accused, two factors must be established:

(i) common intention and

(ii) participation of the accused in the commission of an offence. If a common intention is proved but no overt act is attributed to the individual accused, Section 34 will be attracted as essentially it involves vicarious liability but if participation of the accused in the crime is proved and a common intention is absent, Section 34 cannot be invoked. In every case, it is not possible to have direct evidence of a common intention. It has to be inferred from the facts and circumstances of each case."

16. He has also relied on the decision in Suresh Sakharam Nangare (supra). In the said case, the Court after referring to Section 34 IPC opined that a reading of the above provision makes it clear that to apply Section 34, apart from the fact that there should be two or more accused, two factors must be established:

(i) common intention, and (ii) participation of the accused in the commission of an offence. It further makes clear that if common intention is proved but no overt act is attributed to the individual accused, Section 34 will be attracted as essentially it involves vicarious liability but if participation of the accused in the crime is proved and common intention is absent, Section 34 cannot be invoked.

34. इस न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के अनुसार अभियुक्तो के ‘‘सामान्य आशय’’ तथा उक्त घटना में उनकी ‘‘सहभागिता’’ के संबंध में विचार किया जाना है। इस हस्तगत प्रकरण में मालती (अ.सा.03) ने यह बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर के दरवाजे में खड़ी हुई थी, उसी समय आरोपिया कमला उसका बाल खींचकर उसे घर से बाहर लेकर गयी, इसके बाद आरोपी दाउलाल उसके साथ मारपीट करने लगा। इसी दौरान आरोपी दाउलाल घर से चाकू लेकर आया उसे तीन स्थानो पर चाकू से मारा, जिससे खून बहने लगा और वह नीचे गिर गयी। साक्षी का यह भी कथन है कि इस दौरान आरोपिया कमला ने उसे दबा कर रखा था।

इस साक्षी के कथनो से यह स्पष्ट है कि आरोपिया कमला के सामने ही आरोपी दाउलाल घर से चाकू लेकर आया, और मालती को चाकू से मारने लगा, इस दौरान आरोपिया कमला ने मालती को दबाकर आरोपी दाउलाल का सहयोग किया। इसी बीच शंकर को बीचबचाव हेतु सामने आने पर आरोपी दाउलाल ने शंकर पर कई बार चाकू से वार किया।

35. यह विधि सुस्थापित है कि ''मष्तिष्को का पूर्व मिलन'' के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभाव होता है, यह तथ्य प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियो एवं तथ्यो से स्पष्ट होता है। इस प्रकरण की परिस्थितियो पर विचार करे तो दोनो अभियुक्तगण ने एक साथ आहत मालती से मारपीट करना प्रारंभ किया, इसी बीच आरोपी दाउलाल घर से चाकू लेकर आया, फिर आरोपिया कमला ने मालती को दबाया और आरोपी दाउलाल ने चाकू से वार किया। जिससे यह स्पष्ट है कि दोनो अभियुक्तगण मृतक शंकर एवं उसकी पत्नी मालती को मारने का विचार रखते हुये मालती को उसके घर के दरवाजे से खींचकर बाहर लाये और उसके साथ मारपीट किये, बीचबचाव हेतु शंकर के आने पर उस पर भी घातक वार किया गया। इन तथ्यो से अभियुक्तगणो के ''मष्तिष्को का पूर्व मिलन'' और उनके ''सामान्य आशय'' का ही अनुमान इंगित होता है।

36. प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हुए यह बताया है कि, आरोपी दाउलाल एवं आरोपिया कमला ने मिलकर मृतक शंकर लाल एवं उसकी पत्नी मालती से मारपीट किया था, और आरोपी दाउलाल के द्वारा चाकू से

वार किया गया था। आहत साक्षी मालती निर्मलकर (अ.सा.3) के कथनो से यह भी दर्शित हो रहा है कि उक्त मारपीट के दौरान आरोपी दाउलाल के अतिरिक्त आरोपिया कमला ने उक्त घटना के दौरान मालती के उपर चढ़कर उसे दबा दिया था, तथा उसके मुंह को भी पैर से दबा कर रखा था। जिससे दोनो अभियुक्तगण की उक्त घटना में सक्रिय एवं संयुक्त भागीदारी होना दर्शित हो रहा है।

37. अभियुक्तगण की ओर यह भी बचाव लिया गया है कि यदि यह प्रमाणित भी मान लिया जावे कि दोनो आरोपीगण के द्वारा मृतक एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट किया था, तब भी उन सभी का 'आशय' मृतक को मारने का नहीं था, वह लोग पड़ोसी है, उनके मध्य पूर्व की मामूली रंजिश थी, और मामूली विवाद पर ही उक्त घटना हुई है, इसलिये दोनो आरोपीगण का 'सामान्य आशय' मृतक की हत्या करने का नहीं होने के कारण आरोपिया कमला को दोषमुक्ति का पात्र होना व्यक्त किया गया है। इस प्रकरण में मालती (अ.सा.03) ने यह स्पष्ट कथन किया है कि दोनो आरोपीगण ने मिलकर उसके पति को मारा तथा दाउलाल ने अपने पास रखे चाकू से उसके पेट कई बार मारकर चोट पहुंचाया, आरोपिया कमला उस पर चढ़कर उसे दबा कर रखा था। इसी प्रकार दानी ध्रुव (अ.सा.04) ने अपने कथन में यह बताया है कि उक्त मारपीट के वक्त आरोपी दाउलाल के हाथ में चाकू था, तथा दाउलाल और उसकी पत्नी कमला ने मालती के साथ मारपीट किया इसी दौरान दाउलाल ने पहले मालती को चाकू से मारा तथा शंकर के बीचबचाव करने पहुंचने पर

दाउलाल ने शंकर को चाकू से मारा, जिससे उसकी मृत्यु कारित हुई। इस प्रकार इन साक्षियो के कथनो से दोनो अभियुक्तगण की उक्त घटना में सहभागिता भी परिलक्षित है। जिससे दोनो अभियुक्तगण का कृत्य शंकर और मालती की हत्या के आशय के साथ ''सामान्य आशय के अग्रशरण'' में कारित किया गया कृत्य माना जावेगा।

38. विवेचक एम. आर. शार्दुल (अ.सा.8) ने कथन किया है कि उसने दिनांक 30.12.2017 को आरोपी दाउलाल निर्मलकर को अभिरक्षा में लेकर गवाहों के समक्ष उसका मेमोरंडम कथन प्रदर्श पी–5 दर्ज किया था और आरोपी ने अपने मेमोरंडम में उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू को अपने घर के बाड़ी से बरामद करा देने की बात बतायी थी, तब आरोपी और गवाहो के साथ उसके बाड़ी में जाकर आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू गवाहों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–7 के अनुसार जप्त किया था। इस मेमोरण्डम एवं जप्ती का समर्थन प्रीतम दास मानिकपुरी (अ.सा.5) के द्वारा भी किया गया है। यद्यपि इस विवेचक साक्षी के कथनो का पूर्ण समर्थन मेमोरेण्डम के अन्य साक्षी भरतलाल साहू (अ.सा.1) ने नहीं किया है, परंतु प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में उसके सामने दाउलाल के द्वारा घर की बाड़ी से चाकू निकालकर पुलिस वालो को देना बताया है। मेमोरेण्डम एवं जप्ती के गवाह भरतलाल साहू (अ.सा.1) का अभियोजन का पूर्ण समर्थन नहीं करने मात्र से इस कार्यवाही को संदिग्ध नहीं माना जा सकता, क्योकि प्रकरण के विवेचक एम. आर. शार्दुल (अ.सा.8) एवं स्वतंत्र साक्षी प्रीतम दास मानिकपुरी (अ.सा.5) के द्वारा जप्ती एवं

मेमोरेण्डम के संबंध में कथन किये गये कथनो का कोई सारवान खंडन नहीं हुआ है।

39. परिणामतः प्रकरण में मेमोरेण्डम कथन अंतर्गत धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं इस कथन के आधार पर की जप्ती को अभियोजन साक्षियो के कथनो से पूर्णतः प्रमाणित माना जाता है, और इसकी प्रमाणिकता भी अभियुक्तगण के विरुद्ध उपधारणा का प्रादुर्भाव करता है।

40. अभियुक्तगण की ओर से यह भी बचाव लिया गया है कि, चिकित्सक साक्षी डा. एम. निराला (अ.सा.09) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यह स्वीकार किया है कि यदि 20 से.मी. लंबा चाकू पूरी ताकत से किसी को मारा जाये, तो वह 14–15 से.मी. का घाव बनाते हुये शरीर के अंदर जा सकता है। यह तर्क किया गया है कि इस चिकित्सक साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पी.एम. रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर का कोई भी घाव 10 से.मी. से अधिक नहीं था तथा जांच किये गये चाकू में कोई खून का कोई धब्बा भी नहीं था। इस आधार पर जप्तशुदा चाकू को घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू नहीं होना व्यक्त करते हुये, आरोपीगण को प्रकरण में झूठा आलिप्त किये जाने का तर्क किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि स्वयं आहत मालती ने आरोपी दाउलाल के द्वारा उसे एवं उसके पति को चाकू से मारते हुये प्रत्यक्षतः देखा गया है। चिकित्सकीय साक्ष्य से भी यह प्रमाणित पाया गया है कि मृतक एवं आहत के शरीर पर धारदार हथियार चोट पहुंचाया गया है। जिनका कोई खंडन

नहीं हुआ है, इन परिस्थितियों में मृतक के शरीर का घाव 10 से.मी. से अधिक नहीं होना तथा चाकू पर खून के धब्बे नहीं पाये जाने मात्र के आधार पर अभियोजन के इस प्रकरण को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। परिणामतः अभियुक्तगण का यह तर्क भी मान्य योग्य नहीं है।

41. अभियुक्तगण की ओर से यह भी बचाव लिया गया है कि, चिकित्सक साक्षी डा. एम. निराला (अ.सा.09) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में यह स्वीकार किया है कि मृतक का कपड़ा फटा हुआ नहीं था, जबकि चाकू से चोट आने पर कपड़े का फटना स्वाभाविक है, इस आधार पर अभियोजन के इस प्रकरण को संदेहित होने का तर्क किया गया है। मृतक शंकर के शरीर पर चाकू जैसे हथियार से एक से अधिक घाव होना चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित है, इसके बाद मृतक के पहने हुये कपड़े को नहीं फटने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसे चोट ही नहीं आयी। उक्त संपूर्ण विवाद झूमाझटकी के दौरान कपड़ा खुल जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मात्र कपड़े नहीं फटने के आधार पर भी अभियोजन के प्रकरण को संदेहित नहीं माना जा सकता। परिणामतः बचाव पक्ष का यह तर्क भी मान्य योग्य नहीं है।

42. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा मिलकर मृतक शंकर लाल से मारपीट किया गया। आरोपी दाउलाल के अतिरिक्त अन्य आरोपिया कमला बाई ने चाकू मारने के दौरान मृतक की पत्नी को पकड़कर, आरोपी दाउलाल को सहयोग किया गया। मृतक की पत्नी ने आरोपी दाउलाल के द्वारा मृतक के पेट में चाकू से कई

बार, मारना बताया है। चिकित्सक की रिपोर्ट प्रदर्श पी.-24 के अनुसार मृतक के शरीर पर मल्टीपल स्टेब इंज्यूरी मिले। आरोपी दाउलाल के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया। चिकित्सक साक्षी के द्वारा इस जप्तशुदा चाकू से चोट आ सकने संबंधी प्रदर्श पी.-25 की रिपोर्ट दिया गया है। उक्त घटना के दौरान दोनो अभियुक्तगण की सक्रिय भागीदारी रही है। जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपीगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मृतक को चाकू से चोट पहुंचाया गया है।

43. शंकर लाल की मृत्यु आशयपूर्वक कारित की गई है यह भी परिस्थिति से ही स्पष्ट होता है। किसी व्यक्ति को उसके शरीर के मर्म स्थान पेट पर एक से अधिक बार चाकू से चोट पहुंचाये जाने का परिणाम केवल मृत्यु होता है। ऐसा कृत्य किसी को सामान्य प्रकृति की उपहति कारित करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता। अभियुक्तगण के द्वारा यह कार्य किया गया है। अतः विचारोपरांत यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियुक्तगण के द्वारा शंकर लाल की मृत्यु कारित कर देने के आशय से यह कृत्य किया गया।

44. उपरोक्त् निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आहत मालती को चोट पहुंचाने के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 सहपठित धारा 34 और मृतक शंकर की मृत्यु कारित करने के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के आरोप के

अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

45. आरोपिया कमला जमानत पर है, उसके जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है और उसे अभिरक्षा मे लिया जावे।

सही/—
(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ0ग0

पुनःश्च :—

// द ण्ड ा दे श //

46. अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण का आशय अपराध कारित करने का नहीं था, उक्त घटना अचानक प्रकोपन का परिणाम है। अतः न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य व सम्पूर्ण परिस्थितियों, जिनमें घटना घटित हुई, को दृष्टिगत रखते हुए विचार पश्चात् यह प्रतीत होता है कि यह घटना विरलों से विरल प्रकृति का नहीं है। इस कारण से इस मामले मे अभियुक्तगण को मृत्यु दंड से दंडित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस प्रकरण में अभियुक्तगण को निम्नानुसार दंडित किया जाता है :—

क.	अपराध धारा जिसमें दंडित किया जा रहा है।	सश्रम कारावास	जुर्माना रूपयों में	जुर्माना के व्यतिक्रम पर सश्रम कारावास
1	भा.दं.सं. की धारा 307 सहपठित धारा 34	05 वर्ष	100/–	01 माह
2	भा.दं.सं. की धारा 302 सहपठित धारा 34	आजीवन कारावास	200/–	02 माह
दोनो सजायें साथ–साथ भुगतायी जावे।				

47. अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण की लम्बन अवस्था में न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि को कारावास के दण्ड में समायोजित किया जाये। इस संबंध में धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र बनाया जाये जो निर्णय का भाग होगा ।

48. अभियुक्त दाउलाल न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त दाउलाल के जेल वारंट को प्रकरण में संलग्न किया जावे तथा दोनो अभियुक्तगण को सजा भुगताये जाने हेतु सजा वारंट तैयार कर केन्द्रीय जेल रायपुर प्रेषित किया जावे।

49. अभियुक्तगण की ओर से धारा 437(क) दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनांक से 06 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

50. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लोहे का चाकू, खून आलूदा मिट्टी और सादा मिट्टी, साड़ी, पेटीकोट एवं शर्ट व अन्य सम्पत्ति मूल्यहीन है। अतः जप्तशुदा संपत्ति को अपील अवधि पश्चात् अपील न

होने की दशा में नष्ट किया जाये तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण किया जाये।

51. अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे एवं एक–एक प्रति जिला दण्डाधिकारी एवं जेल अधीक्षक को भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।
सही/–

(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर, छ.ग.

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
सही/–

(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ.ग.

स्थान – रायपुर (छ0ग0)
दिनांक – 30/10/2019

न्यायालय :– चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी–विवेक कुमार वर्मा)

// धारा 428 दप्रस. के तहत प्रमाण पत्र //

1.	सत्र प्रकरण क्रमांक	–	102/2018
2.	पक्षकार का नाम	–	छ0ग0 राज्य विरूद्ध दाउलाल धीवर व अन्य
3.	धारा	–	भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 307, 302, 34
4.	निर्णय दिनांक	–	**30/10/2019**
5.	अभियुक्त का नाम व पता	–	दाउलाल धीवर, उम्र 65 वर्ष पिता रामाधीवर, निवासी–ग्राम टेकारी, थाना विधानसभा जिला रायपुर (छ.ग.)
6.	गिरफ्तारी दिनांक	–	दिनांक 30.12.2017
7.	अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा अवधि	–	''निरंक''
8.	अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि	–	दिनांक 30.12.2017 से लेकर दिनांक 30.10.2019 तक

सही/–

रायपुर (छ0ग0)
दिनांक – 30/10/2019

(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर(छ0ग0)

न्यायालय :— चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)
(पीठासीन अधिकारी—विवेक कुमार वर्मा)

// धारा 428 दप्रस. के तहत प्रमाण पत्र //

1.	सत्र प्रकरण कमांक	—	102/2018
2.	पक्षकार का नाम	—	छ0ग0 राज्य विरूद्ध दाउलाल धीवर व अन्य
3.	धारा	—	भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 307, 302, 34
4.	निर्णय दिनांक	—	**30/10/2019**
5.	अभियुक्त का नाम व पता	—	श्रीमती कमला बाई धीवर उम्र 50 वर्ष पति—दाउलाल धीवर, निवासी—ग्राम टेकारी, थाना विधानसभा जिला रायपुर (छ.ग.)
6.	गिरफ्तारी दिनांक	—	दिनांक 30.12.2017
7.	अभियुक्त की पुलिस अभिरक्षा अवधि	—	''निरंक''
8.	अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि	—	दिनांक 30.12.2017 से दिनांक 11.07.2018 तक

नोट— सजा में समायोजित की जाने वाली अवधि दिनांक 30.12.2017 से दिनांक 11.07.2018 तक।

सही/—

रायपुर (छ0ग0)
दिनांक — 30/10/2019

(विवेक कुमार वर्मा)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर(छ0ग0)